<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>15.01.2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि आंचलिक कार्यालय ने 14.01.2026 को कोल्लम निवासी 35 वर्षीय अनीश बाबू (श्री बाबू जॉर्ज के पुत्र) को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19(1) के तहत गिरफ्तार किया है।

ईडी ने केरल पुलिस द्वारा दर्ज और कोल्लम अपराध शाखा द्वारा पुनः दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिनमें काजू व्यापारियों के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। यह पता चला कि अनीश बाबू ने अपनी कंपनियों, मेसर्स बी सदर्न ट्रेड लिमिटेड (तंजानिया), मेसर्स प्रेज़ एक्सपोर्ट्स एफजेडई (शारजाह) और मेसर्स वझाविला काजू (कोल्लम) के माध्यम से, तंजानिया/अफ्रीका से कच्चे काजू के आयात और आपूर्ति के झूठे वादे पर कई व्यापारियों से बड़ी रकम हड़प ली।

ईडी की जांच में पता चला कि विभिन्न शिकायतकर्ताओं से लगभग 24.76 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि एकत्र की गई थी। हालांकि, न तो काजू की आपूर्ति की गई और न ही अग्रिम राशि वापस की गई। इसके बजाय, पीड़ितों को गुमराह करने के लिए जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज जैसे बिल ऑफ लैडिंग, स्विफ्ट संदेश और चेक उपलब्ध कराए गए। इस प्रकार एकत्र की गई धनराशि को डायवर्ट, लेयर, छुपाया गया और आंशिक रूप से विदेश में रखा गया, जिससे अपराध की आय (पीओसी) उत्पन्न हुई, उस पर कब्जा किया गया, उसका उपयोग किया गया और उसे प्रदर्शित किया गया, जो पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध बनता है।

जांच के दौरान, अनीश बाबू को 2021 से पीएमएलए की धारा 50 के तहत बार-बार समन जारी किए गए। 3 जनवरी, 2025 को एक बार पेश होने के अलावा, उनका व्यवहार असहयोगी और टालमटोल वाला रहा। वह लगातार दस्तावेज पेश करने में विफल रहे और जांच में सहयोग करने से बचते रहे। उनकी अग्रिम जमानत याचिकाएं एर्नाकुलम सत्र न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गईं।

दिनांकः14.01.2026 को, ईडी कार्यालय में अनीश बाबू का बयान दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने टालमटोल भरे जवाब दिए और पीओसी के उपयोग और विदेशों में जमा किए गए दस्तावेजों से संबंधित महत्वपूर्ण विवरणों का खुलासा करने में विफल रहे। साक्ष्यों से छेड़छाड़, गवाहों पर प्रभाव और कानूनी प्रक्रिया से बचने की संभावना को देखते हुए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

इसके बाद, उन्हें 15.01.2026 को एर्नाकुलम स्थित माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने उन्हें 19.01.2026 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले, माननीय उच्च न्यायालय ने अनीश बाबू की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह राय व्यक्त की थी कि धन के लेन-देन का पता लगाने के लिए उनकी हिरासत में पूछताछ आवश्यक है और ईडी पीओसी, विशेष रूप से विदेशों में जमा किए गए पीओसी का पता लगाएगी और धन शोधन अपराध में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान करेगी।

आगे की जांच जारी है।